भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur
डी–148, आर. एस.ई.बी. सब–स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर–302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई–मेल /E-mail : jai@nhai.org

क्रमांक– भाराराप्रा/जय/सा–ना/2024/2680 दिनांक 28.11.2024

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषयः– जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, नागौर (राजस्थान) द्वारा फतेहपुर नागौर खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर किमी 157.165 से किमी 163.747 (आरएचएस) तक 350 मिमी व्यास की डीआई जल पाइपलाइन बिछाने के लिए पहुचँ अनुमति का प्रस्ताव।

संदर्भः– (1) जेएसडब्ल्यू पत्र क्रमांक जेएसडब्ल्यू/जल पाइपलाइन/001 दिनांक षून्य
(2) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1006 दिनांक 18.07.2024
(3) जेएसडब्ल्यू पत्र क्रमांक जेएसडब्ल्यू/राज/एनएचएआई/339 दिनांक 10.08.2024
(4) जेएसडब्ल्यू मेल दिनांक 28.09.2024

महोदय,

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जेएसडब्लयू सीमेंट लिमिटेड़ नागैर, ने संदर्भ (1) के तहत उद्धृत पत्र के माध्यम से विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय भाराराप्रा–जयपुर ने दिनांक 25.10.2024 के पत्र के माध्यम से पीआईयू को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ सार्वजनिक और औघोगिक उपयोगिता सेवाओं के आवेदन कि टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 30 दिन तक सार्वजनिक डोमेन में रखने का निर्देश दिया है।

2. मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक आरडब्लयु/एनएच–33044/29/2015 S&R(R) दिनांक 22.11.2016 के पैरा–4 के अनुसार "दावों और आपत्तियों (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) के लिए आवेदन को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।"

3. उपरोक्त के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, नागौर (राजस्थान) द्वारा जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, नागौर के लिए फतेहपुर नागौर खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर किमी 157.165 से किमी 163.747 (आर.एच.एस.) तक 350 मिमी व्यास वाली डी जल पाइपलाइन बिछाने के लिए पहुँच अनुमति के प्रस्ताव के लिए मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/ आपत्तियों आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियाँ/ आपत्तियों नीचे दिए गए पते पर 27.12.2024 तक भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के पश्चात कोई टिप्पणियाँ/आपत्तियों स्वीकार नहीं की जाएगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई–जयपुर
डी–148, आरएसईबी सब स्टेशन के पीछे,
वैशाली नगर जयपुर (राज.) –302021
फोनः 91–141–4026465, ईमेलः–jai@nhai.org

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पीआईयू–जयपुर

प्रतिलिपि–
1. वेब एडमिन, एनएचआई ,मुख्यालय, नई दिल्ली– एनएचआई वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली – मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, नागौर को सूचनार्थ प्रेषित।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur
डी–148, आर. एस.ई.बी. सब–स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर–302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org

No. NHAI/JPR/S-N/2024/ 2574 Date:- 20.11.2024

INVITATION OF PUBLIC COMMENTS

Sub.:- Proposal for access permission for laying 350 mm diameter Di water pipeline from route at Km 157+165 to Km 163+747 (RHS) on National Highway No. 58 of Fatehpur Nagaur Section by JSW Cement Limited, Nagaur (Rajasthan) -reg.

Ref:- (i) JSW letter no. JSW/Water pipeline/001 dated Nil
(ii) This office letter no. 1006 dated 18.07.2024
(iii)JSW Letter no. JSWCL/RAJ/NHAI/339 Dated 10.08.2024
(iv)Your Mail Dated 28.09.2024
(v) This office letter no. 1006 dated 18.07.2024

Sir,

It is to inform all concern that JSW Cement Limited, Nagaur, vide letter cited under ref (i) has submitted a proposal for the subjected work. Further, Regional office NHAI Jaipur vide letter dated 25.10.2024 has directed PIU's to put out the application of Public and Industrial Utility Services along and across National Highway in the public domain for 30-days for seeking comments.

2. As per para-4 of Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015S&R(R) dated 22.11.2016 "The application shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest)"

3. In view of above, before approval of the Competent Authority, the comments/objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's Circular dated 22.11.2016 for Proposal for access permission for laying 350 mm diameter Di water pipeline from route at Km 157+165 to Km 163+747 (RHS) on National Highway No. 58 of Fatehpur Nagaur Section by JSW Cement Limited, Nagaur (Rajasthan) for JSW Cement Limited, Nagaur. The objections/comments may be addressed to the below mentioned address up to 18.12.2024, beyond due date, no comments/objections will be accepted.

National Highways Authority of India
Project Implementation Unit-Jaipur
D-148, Behind RSEB Sub Station,
Vaishali Nagar Jaipur(Raj.)-302021
Phone: 91-141-4026465, E-mail: Jai@nhai.org

Project Director
NHAI PIU-Jaipur

Copy to:
(1) Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
(2) Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [Rahul.sh@nic.in]
(3) Regional Officer, NHAI Jaipur for information please.
(4) Authorized Signatory, JSW Cement Limited, Nagaur for information please.